न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 17/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00088

बउनवानी :– 1. प्रभू पुत्र हजारी जाति मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
2. घनश्याम पुत्र गंगाधर मीना निवासी निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
3. धूल्या पुत्र बजरंगा मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
4. रामजीलाल पुत्र बजरंगा मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
5. मोरपाल पुत्र भोरया मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
6. रामप्यारी पत्नि नाथूलाल मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
7. हेमराज पुत्र नाथूलाल मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
8. कसकन्धा पत्नि स्व0 मनराज मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
9. करीना पुत्री स्व0 मनराज मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
10. बीना पुत्री स्व0 मनराज मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
11. अमन पुत्र मनराज मीना निवासी खाट कलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
12. बर्फी पुत्री नाथूलाल पत्नि भरतलाल मीना निवासी ईटावा तह0 जिला सवाईमाधोपुर
13. मोटी पुत्री नाथूलाल पत्नि जसराम मीना निवासी बन्धा तह0 जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कन्हेया लाल पुत्र हजारी मीना निवासी श्यामपुरा हाल खाटकलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
2. सरूपी पत्नि कन्हैया मीना निवासी श्यामपुरा हाल खाटकलां तह0 जिला सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर सवाईमाधोपुर
4. सब रजिस्ट्रार सवाईमाधोपुर
5. रत्तीराम पुत्र भैरूलाल मीना निवासी ग्राम खाट कलां तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे जैरकार प्रकरण सख्या 40/2009 दावा प्रभूलाल बनाम कन्हेया लाल एवं कन्सोलेट पत्रावली उनवानी सरूपी बनाम प्रभू वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री आदिल वसीम — वकील प्रार्थीगण
2. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 16.9.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में विचाराधीन प्रकरण सख्या 20/2009 दावा उनवानी प्रभूलाल बनाम कन्हेया लाल एवं कन्सोलेट पत्रावली उनवानी सरूपी बनाम प्रभू वगै. के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने एक दावा आदेश 7 रूल 1 सी.पी.सी. का न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे प्रस्तुत कर रखा है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 ने टी.ए. काउन्टर दावा श्रीमान के समक्ष उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है। उक्त दोनो पत्रावली कन्सोलेट कर एक साथ कर दी गयी है। जिनमे आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस नियत है। उनवानी पत्रावली मे दिनांक 17.7.2019 को पीठासीन अधिकारी राजकार्यो में व्यस्त होने के कारण बहस नही हो सकी। इसलिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2019 नियत की गयी। दिनांक 28.7.2019 को प्रार्थीगण

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थें तो प्रार्थीगण ने गांव के कई लोगों से उक्त पत्रावली के बारे मे यह सुना तथा विपक्षी संख्या एक व दो ने गांव के लोगों से कहा कि उक्त पत्रावली के बारे में पीठासीन अधिकारी से हमारी वार्ता हो गयी है और वह फैसला हमारे पक्ष में करेगें। इसलिए हम जीत कर ही रहेगें। प्रार्थी को यह बात सुनकर काफी सदमा लगा हौर उसके मन में शंका पैदा हो गयी। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में जब आर्डरशीट की नकल प्राप्त की उसमे तारीख पेशी काफी नजदीकी लगायी हुई थी। दिनांक 25.7.2019 को जब प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुए तो प्रार्थीगण को विपक्षीगण संख्या एक व दो का रूख व खुशी देखकर प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उक्त मुकदमे मे प्रार्थीगण को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण में उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय से दीगर सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि अप्रार्थीगण गरीब अनपढ है तथा कभी पीठासीन अधिकारी से नही मिले है। जहॉ तक प्रकरण मे नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय को वर्ष,2009 मे प्राप्त हुए थे इस प्रकार प्रकरण 10 वर्ष से पुराने होने के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्वरित निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। किन्तु प्रार्थीगण उक्त प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक दैरीना करने गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना निराधार तथ्यों पर पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे ।

उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना होने व बहस हेतु नियत होने एवं पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य मे व्यस्त रहने के कारण राजस्व मण्डल से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों की पालना में पुराने प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हेतु न्यायालय के रीडर द्वारा नजदीकी तारीख पेशी दी गयी हैं पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं झूंठे है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। चूंकि प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना था इसलिए समय–समय पर राजस्व मण्डल से प्राप्त निर्देशों की पालना में पुराने प्रकरणो के त्वरित निस्तारण हेतु नजदीकी तारीख पेशी दिया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना सारहीन एवं झूंठे तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:46:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: